न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर कैम्प कोर्ट बोडवा

पिठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर०ए०एस०)

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

प्रार्थना पत्र संख्या – 68 / 2016

1– रामप्यारी पुत्री शोभाराम जाति भाम्बी निवासी बोडवा तह. जायल जिला नागौर।

……………… प्रार्थीया

बनाम

1– बाजू पत्नि उम्मेदाराम जाति भाम्बी निवासी बोडवा तह. जायल जिला नागौर।
2– पूजा पुत्री रामनिवास जाति भाम्बी निवासी बोडवा तह. जायल जिला नागौर।
3– पदमाराम पुत्र उम्मेदाराम जाति भाम्बी निवासी बोडवा तह. जायल जि. नागौर।
4– सुन्दरी पत्नि शिवदानराम जाति भाम्बी निवासी बोडवा तह. जायल जि. नागौर।
5– भवरी पुत्री शिवदानराम जाति भाम्बी निवासी बोडवा तह. जायल जि. नागौर।
6– बिदामी पुत्री शिवदानराम जाति भाम्बी निवासी बोडवा तह. जायल जि. नागौर।
7– पूरी पुत्री शिवदानराम जाति भाम्बी निवासी बोडवा तह. जायल जि. नागौर।
8– उप–पंजीयक जायल जिला नागौर।
9– तहसीलदार जायल जिला नागौर।

……………… अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम
एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित अधिवक्ता :–
1 श्री शिवकुमार पारासर प्रार्थी की ओर से।
2 श्री अम्बालाल पारासर अप्रार्थी सं. 01 से 03 की ओर से।
3 श्री इन्द्रसिंह अप्रार्थी सं. 04 से 7 की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक 21.5.18

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 01 से 07 शोभाराम के वंशज है। पुश्तेनी भूमि मौजा बोडवा के खेत खसरा नम्बर 1034 रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 1028 / 1034 रकबा 06 बीघा 05

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

बिस्वा के खेत प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 01 से 07 के आये हुये है। अप्रार्थीगण ने आपसी षडयंत्र करके अप्रार्थी पूजा के नाबालिक अवस्था का दुरूपयोग करते हुए मन माफिक बंट करवा लिया। जिस में अप्रार्थी का हिस्सा नहीं है तथा अप्रार्थी पूजा का भी बंट हिस्सा कम है। उपरोक्त वर्णित खसरान में सभी पक्षकारानों का अर्थात प्रार्थीनी का 1/3 हिस्सा अप्रार्थी सं 01 से 03 का 1/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 04 से साथ का बराबर बराबर हक बंट कब्जा काश्त है। प्रार्थीनी के सगे दो भाई शिवदानराम व उम्मेदाराम जिन के वारिशान अप्रार्थी सं. 01 से 07 है। प्रार्थिनी गत वर्ष 20.06.2016 को ग्राम बोडवा अप्रार्थीगण से जाकर मिली तथा विवादित खेत में अपना नाम राजस्व शिविर में करवाने की बात कही अप्रार्थीगण ने तुरन्त करवाने का आशवासन दिया। अप्रार्थीगण मुतदाविया खेताय को बैचान करना चाहते है इसलिये इन के विरूद्ध भूमि का बैचान नहीं करने, हस्तान्तरण, गिरवी या अन्तरण नहीं करने व राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति रखने के लिये अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की किया जाकर अप्रार्थीण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी सं. 01 से 03 की और से अम्बालाल पारासर व अप्रार्थी सं. 04 से 07 की और से इन्द्रसिंह राठौड ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 08 व 09 बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहे इसलिये इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी सं. 01 से 03 की और से वकील श्री अम्बालाल पारासर ने आदेशिका में अंकित किया कि जबाब पेश नहीं करना चाहते है। अप्रार्थी सं. 04 से 07 की और से इन्द्रसिंह राठौड ने प्रार्थना पत्र का पेरा वाईज खण्डन कर जबाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य मनघडत व बनावटी है। खेत खसरा नम्बर 1034 रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 1028/1034 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा प्रार्थीनी के संयुक्त खातेदारी के नहीं है तथा प्रार्थीनी अपने ससुराल रूपाथल में रहती है तथा कब्जा काश्त भी नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने से ऐसी सम्पत्ति जो 20 दिसम्बर 2004 के पूर्व प्राप्त की जा चूकि हो विभाजन हेतु वाद पेश करने का प्रार्थीनी को कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। उक्त भूमि संवत 2012 से 2015 में प्रार्थीनी के भाईयों के नाम खातेदारी दर्ज है करीबन 60 वर्ष पश्चात बंटवारे का व घोषणा खातेदारी का वाद वादिनी द्वारा लाने का कोई कानूनन हक अधिकार नहीं है। वर्णित तथ्य मनघडत व बनावटी है तथा प्रार्थीनी को किसी प्रकार से कोई सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया मामला व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू अपने पक्ष में साबित नहीं होता है। इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थी के विरूद्ध में जारी की गयी स्थाई निषेधाज्ञा को खारीज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर।

Scanned by CamScanner

प्रकरण में प्रार्थी वकील व वकील अप्रार्थी सं 04 से 07 की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी की बहस मुख्यतया प्रार्थना पत्र पर आधारित रही। वकील अप्रार्थी सं. 04 से 07 ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य मनघडत है तथा प्रार्थीया रेकार्डेड खातेदार नही है तथा प्रार्थना पत्र तथ्य छुपाकर पेश किया गया है इसलिये प्रार्थना पत्र को खारीज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रवली के अवलोकन करने से स्पष्ठ हुआ की प्रार्थीया रेकार्डेड खातेदार नहीं है तथा प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्ध नही होता है तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर प्राथीर्या का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जारी की गयी अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है। तहरीर पालनार्थ तहसीलदार जायल को जारी हो।

21.5.18
(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 21.5.18 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.5.18
(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner